भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5254

(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम-जी का कार्यान्वयन

5254. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए आवंटित 30,000 करोड़ रुपये का उद्देश्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए विकसित भारत गारंटी (वीबी-जी राम जी) के अंतर्गत 95,692 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की तुलना में कितना मानकीय आवंटन किया गया है और ऐसे मानकीय आबंटनों के निर्धारण के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) वीबी-जी राम जी को लागू करने की स्थिति क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए चरण-वार समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या वीबी-जी राम जी के अंतर्गत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों को केवल पीएम गति शक्ति से ही लिए जाने की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) से विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है।

इस राशि से विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम के लागू होने तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा किए जाने की आशा है।

(ख): अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) के अनुसार, केंद्र सरकार इसके द्वारा यथानिर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए राज्य-वार मानक आवंटन निर्धारित करेगी। चूंकि अधिनियम अभी प्रभाव में आना बाकी है, इसलिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मानक आवंटन से संबंधित नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 अभी प्रभाव में आना बाकी है। इसके प्रभाव में आने पर, अधिनियम के प्रावधान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगे।

(घ): वीबी-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 3(घ) के अनुसार, कार्य केवल विकसित ग्राम पंचायत आयोजना (वीजीपीपी) से ही शुरू किए जाएंगे, जिसे ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जाएगा, ताकि एक सहभागी और आवश्यकता-आधारित नियोजन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

पीएम गति शक्ति को अभिसरण को संस्थागत बनाने, संतृप्ति-आधारित योजना को बढ़ावा देने और वीजीपीपी की तैयारी और कार्यान्वयन में 'संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण' की सुविधा के लिए एक सुविधाजनक और मार्गदर्शक ढांचे के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह भू-स्थानिक प्रणालियों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उनकी विविध विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा।
